

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/सी-6/रावि/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-14.08.2019 के तहत श्रीमती विनिता बंसल, व्याख्याता (हिन्दी) गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, हरसोली, दूदू, जयपुर किया गया। श्रीमती विनिता बंसल ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-2236/2019 श्रीमती विनिता बंसल बनाम अन्य दायर की गई।

अपील संख्या-2236/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक-02.09.19 द्वारा याचिकार्थिया श्रीमती विनिता बंसल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थिया के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय अधिकरण द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.08.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थिया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया श्रीमती विनिता बंसल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के सास-ससुर वृद्ध होने तथा स्वयं पर आश्रित होने, पति जमवारामगढ़ तहसील में व्याख्याता के पद पर कार्यरत होने, पति कई बीमारियों से ग्रसित होने एवं दोनों बेटियां जयपुर में अध्ययनरत होने के आधार पर अपना पदस्थापन-1-राउमावि, ढाणी कुमावतान, जयपुर, 2-रा.महाराजा, बाउमावि, जयपुर, 3-रा.श.मेजर दिग्विजय सिंह उमावि, खातापुरा, जयपुर, 4-रा.सेठ आनन्दी लाल पोद्दार मूल बधिर स्कूल, जयपुर, 5-राउमावि, पालडीमीणा, जयपुर, 6-राउमावि, विद्याधर नगर, जयपुर, 7-राउमावि, साईवाड़, जमवारामगढ़, जयपुर में करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार व अन्य प्रकरण में पारित निर्णयानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र किये गए स्थानान्तरण आदेशों से किसी लोकसेवक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता। याचिकार्थिया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थियों को जयपुर जिले में ही पदस्थापित किया है, किसी अन्य जिले में नहीं। वर्तमान जिले में पदस्थापित होते हुए भी याचिकार्थियां द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार प्रकरण में अवधारित किया गया है कि **"A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to**

be transferred/posted from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest"

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थिया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.09.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.08.2019 को याचिकार्थिया के अभ्यावेदन निस्तारण कर स्थगित किया था। चूंकि श्रीमती विनिता बंसल का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है, अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 14.08.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि, हरसोली-दूदू, जयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर दिनांक- 29.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविश/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./श्रीमती विनिता बंसल/2236/2019/14 दिनांक-22-10-19

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती विनिता बंसल के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग-प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर/राउमावि हरसोली, दूदू, जयपुर।
9. कार्मिक श्रीमती विनिता बंसल, व्या0 हिन्दी, गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर।
10. गार्ड पंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर